

प्रमाण

श्री अशोक नांगी,
उप निदेशक
उत्तर प्रदेश शासन ।

श्री प्रो. माधव मिश्र परिषद,
प्रो. मिश्र 2 नमूना, 15,
प्रो. मिश्र विहार, गढ़ किल्ला ।

दिनांक 17 अगस्त

दिनांक 28 अगस्त, 1993

विषय:- आर.आर.के. पब्लिक स्कूल, पन्डोली, गुरादागांव की सीधुबीरसोही नाम
दिल्ली के सम्प्रदाय से अनुपस्थित प्रमाण पत्र दिने जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह पत्र पढ़ने का श्रेय हुआ है कि आर.आर.के. पब्लिक स्कूल पन्डोली, गुरादागांव की सीधुबीरसोही नाम दिल्ली के सम्प्रदाय प्रमाण पत्र दिने जाने में आ राज्य सरकार को निम्नलिखित शिर्षकों के अधीन कार्य किए नहीं है :-

- 1- विद्यार्थी की पंजीकृत सोसाइटी का समय पर अनुवीक्षण करना चायेगा ।
- 2- विद्यार्थी की प्रबन्ध तन्त्रित में शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन का सफल होगा ।
- 3- विद्यार्थी में कम से कम आ प्रशिक्षित तथा अनुपस्थित जाति/अनुपस्थित स्त्रियाँ के विषय सुरक्षा रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए विद्यार्थियों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क को अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान का मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्र शिक्षा परिषद से सम्प्रदाय प्राप्त है तथा विद्यार्थी की सम्प्रदाय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/की शिक्षा परिषद द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उक्त पत्रिका परिषदों के सम्प्रदाय प्राप्त होने की तिथि से परिषद से सम्प्रदाय तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा सम्प्रदाय ही जायेगी ।
- 5- सेवा शिक्षा एवं शिक्षण कार्य विषयों को राजकीय स्थापना प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्य विषयों को अनुमति देना तथा अन्य मतों से इस सम्बन्ध में कार्य नहीं दिने जायेगा ।
- 6- कार्य विषयों की सेवा में स्थापना जायेगी और उन्हें स्थापना प्राप्त राजकीय उच्चाध्य माध्यमिक विद्यालयों के कार्य विषयों को अनुमति सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेगा ।

Principal
R.R.K. SCHOOL
Chandausi (Gomohal)

Salimkhan
R. R. K. SCHOOL
CHANDAUSI

24

7- राज्य सरकार द्वारा तमाम तमाम पर वो भी आदेश निर्गत कि जाये, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- शिक्षात्मक का रिपोर्ट निर्धारित प्रमाण/पत्रों में रखा जायेगा

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परीक्षा/समीक्षा या परीक्षण नहीं किया जायेगा ।

2- प्रत्येक उक्त उपायकर्ता का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर बाधा आता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तबपन तबत करने में किसी प्रकार की छूट या विधिवता करती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। प्रमुख शिक्षिका ।
उप तालिका ।

पुणे 351011/15-7-1993 तालिका

प्रतिनिधित्व निम्नलिखित शो सुनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है :- 1- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- मध्यमिक उप शिक्षा निदेशक, गुरदासपुर ।

3- शिक्षा निदेशक, निरीप, गुरदासपुर ।

4- निरीप, अग्नि भारतीय शिक्षात्मक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, आर.आर.के. पब्लिक स्कूल, पन्दीती, गुरदासपुर ।

आता है,

[Signature]

। प्रमुख शिक्षिका ।
उप तालिका ।